IJIRSET
International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 11, Issue 3, March 2022

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.569

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 11, Issue 3, March 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1102023 |

भविष्य की अयोध्या

डॉ. मंजूषा मिश्रा

एसोशिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, का. सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या

सारांश

राम नगरी अयोध्या के संपूर्ण विकास के लिए जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है उसे पीएम नरेंद्र मोदी के सामने पेश किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इसका हिस्सा होंगे। इस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के भी मौजूद रहने की उम्मीद है। विजन डॉक्यूमेंट के बारे में प्रमुख सचिव आवास विकास प्रजेंटेशन देंगे। अयोध्या के विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट ली एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने विजन डॉक्यूमेंट के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें करीब 500 नागरिकों और 500 पर्यटकों की मदद ली गई है। विजन डॉक्यूमेंट के हिसाब से बनने वाली नई अयोध्या में 4 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और 8 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार की उम्मीद है। अयोध्या के विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट ली एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने विजन डॉक्यूमेंट के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें करीब 500 नागरिकों और 500 पर्यटकों की मदद ली गई है। विजन डॉक्यूमेंट के हिसाब से बनने वाली नई अयोध्या में 4 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और 8 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार की उम्मीद है।

परिचय

भविष्य की अयोध्या अध्यात्म, संस्कृति और आधुनिकता का अदभुत संगम होगी और धार्मिक पर्यटन में दुनिया के सबसे बड़े केंद्र के रूप में इसकी पहचान होगी। प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से स्थानीय के साथ देश-प्रदेश की आर्थिकी में इसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी।

- नई अयोध्या में पहुंच आसान होगी। श्रीराम एयरपोर्ट की तैयारी है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे का आधुनिकी करण हो रहा है।
- राम मंदिर निर्माण के समानांतर ही इस दिशा में कार्य शुरू किया गया है। 251 मीटर की श्रीराम प्रतिमा और नव्य अयोध्या इस नगरी का प्रमुख आकर्षण होगी।[1,2]

चार सौ हेक्टेयर में बसाई जाने वाली यह नगरी अयोध्या का आधुनिक चेहरा होगी और विदेशी पर्यटकों को केंद्र में रखते हुए बसाई जाएगी। यह अयोध्या से दस किमी दूर शाहनेवाजपुर ग्राम के निकट बसेगी। नव्य अयोध्या 500 एकड़ में हाईटेक टाउनशिप बसेगी जिसमें फाइव स्टार होटल्स, रिवरसाइड रिजार्ट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट्स, बेहतरीन सड़कें, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वायर होंगे।

- सरयू किनारे बनेंगे स्टूडियो अपार्टमेंट। जीवन के आखिरी समय में लोग इन अपार्टमेंट्स में रहना पसंद करेंगे। कुछ खास धनराशि देकर लोग फ्लैट अपने नाम पर ले सकेंगे, जो निधन के बाद ट्रस्ट की संपत्ति होगी। सरयू में क्रूज भी चलेंगे।
- यह प्रोजेक्ट पूरा करने में लगभग 1,200 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
- राम वन गमन मार्ग से लिंक होना अयोध्या आने वालों के लिए अतिरिक्त आकर्षण होगा।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 11, Issue 3, March 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1102023 |

- लखनऊ से गोरखपुर सिक्सलेन होने जा रहा है, जो अयोध्या से होकर जाएगा।
- सहादतगंज से अयोध्या तक फोरलेन होगा। अभी तक अयोध्या में एक भी फोरलेन नहीं है।
- ओवरब्रिज के माध्यम से अयोध्या सीधे हाइवे से जुड़ेगी।[3,4]

- मंदिर 360 फीट लंबा और 235 फीट चौड़ा होगा। ऊंचाई 161 फीट होगी।
- क्षेत्रफल 84600 वर्ग फीट होगा।
- मंदिर में तीन लाख टन लगेगा लाल बलुआ पत्थर।
- गर्भगृह और रंगमंडप के बीच गूढ़ मंडप होगा। दाएं-बाएं अलग-अलग कीर्तन व प्रार्थना मंडप होगा।
- साढ़े नौ किलो चांदी से निर्मित सिंहासन पर विराजमान होंगे राम लला। भाइयों के लिए भी रजत सिंहासन बनेगा।[5,6]

विचार – विमर्श

प्रस्तावित मंदिर के प्रथम तल के गर्भगृह में जहां रामलला की प्रतिमा स्थापित होगी, वहीं दूसरे तल के गर्भगृह में राम दरबार की स्थापना होनी है। किसी एक तल पर भगवान राम के किसी मार्मिक प्रसंग से जुड़ी प्रतिमाएं स्थापित होंगी। मंदिर को

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 11, Issue 3, March 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1102023 |

नागर शैली में निर्मित किया जाएगा। इसी शैली में देश के अन्य बड़े मंदिर तैयार किए गए हैं। खजुराहो, सोमनाथ का मंदिर, लिंगराज का मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर आदि इसी शैली में बने हैं। इसमें शिखर की प्रधानता होती है।

- मंदिर में कुल 6 शिखर होंगे, एक मुख्य शिखर, पांच उप शिखर
- मंदिर तीन तल का होगा, प्रत्येक तल पर 8 फीट व्यास वाले 106 स्तंभ होंगे।
- प्रथम तल के स्तंभ की ऊंचाई 15.5 फीट होगी। दूसरे तल की ऊंचाई 14.5 फीट होगी। 318 स्तंभ होंगे
- ये स्तंभ साढ़े 14 से 16 फीट तक ऊंचे और आठ फीट व्यास वाले होंगे। प्रत्येक स्तंभ यक्ष- यक्षणियों की 16 मूर्तियों से सज्जित होगा।

अयोध्या के डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशुतोष सिन्हा ने बताया कि अयोध्या में श्रीराम का मंदिर इस जिले की विकास की कुंजी है। धार्मिक पर्यटन यहां रोजगार की असीम संभावनाएं लेकर आएगा। आठ बड़े होटल बनने जा रहे हैं। पर्यटकों से इस जनपद की चौतरफा आय होगी। गाइड को रोजगार मिलेगा। धर्म से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों से बड़ी आय होगी। नव अयोध्या भी लोगों का आकर्षण बढ़ाएगी और यहां की हाईटेक टाउनशिप और रिवर साइड रिजार्ट बहुतों को रोजगार देंगे। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और अत्याधुनिक बस अड्डे भी आय में वृद्धि करेंगे। काशी की तर्ज पर जिले की आर्थिक उन्नति बढ़ेगी। फूड इंडस्ट्री, हॉस्पिटलटी इंडस्ट्री और विशेष रूप से एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित गुड़ को अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलेगा। यह सब अयोध्या की कायापलट कर देंगे।[7,8]

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 11, Issue 3, March 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1102023 |

परिणाम

रामायण हमें बताती है कि श्री राम को 14 साल के लिए वनवास पर भेज दिया गया था. ऐसा कर के श्री राम से वो मुकुट छीन लिया गया था, जिसपर उनका वाजिब हक़ बनता था. ये महाकाव्य हमें भगवान श्री राम के उन 14 वर्षों के वनवास की गाथा बताता है, जब उन्हें तरह-तरह की परीक्षाओं से गुज़रते हुए तमाम सुख-सुविधाओं से दूर वन में जीवन गुज़ारना पड़ा था. अपने वनवास के अंत में श्री राम ने राक्षस रावण का वध किया था. इसके बाद वो अयोध्या लौटे थे और उस गद्दी पर उनका राजतिलक हुआ था, जो साज़िश के तहत से उनसे छीन ली गई थी. ये सभी घटनाएं त्रेता युग में घटित हुई थीं.[9,10]

और अब इस तस्वीर को फास्ट फॉरवर्ड कर के हम जब इस दौर में आते हैं, तो अयोध्या में हमें राम जन्मभूमि का बेहद विवादित इतिहास देखने को मिलता है. अयोध्या नगरी में जिस जगह पर श्री राम का जन्म हुआ था उस तीन एकड़ ज़मीन पर हिंदुओं के दावे को मुसलमान चुनौती देते रहे थे. इस विवादित ज़मीन को उसके असल मालिक यानी भगवान श्री राम को वापस पाने में क़रीब पाँच सौ बरस लग गए.

हिंदू, अयोध्या की ज़मीन के जिस टुकड़े को राम की जन्मभूमि मानते हैं, उस पर 1528 में मीर बाक़ी ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी. मीर बाक़ी, मुगल आक्रमणकारी बाबर की सेना में एक सरदार था. 1528 में इस जगह पर मीर बाक़ी के मस्जिद बनवाने से लेकर 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की अगुवाई वाली पाँच जजों की संविधान पीठ ने ये ज़मीन श्री रामलला को वापस लौटाने का फ़ैसला सुनाया, तब तक अयोध्या नगरी ने धार्मिक उत्थान से लेकर सियासी सक्रियता के उतार-चढ़ाव के कई दौर देखे. इसका असर केवल हमारे समाज पर ही नहीं पड़ा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसका असर देखने को मिला.

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 11, Issue 3, March 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1102023 |

भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने गुजरात के सोमनाथ में वो मंदिर बनवाने का विरोध किया था, जिसे लूटा गया, तोड़ा गया और छिन्न-भिन्न कर के वहां मस्जिद बना दी गई थी. पंडित नेहरू का तर्क था कि इससे हिंदुत्ववाद के उभार का मौक़ा मिलेगा. लेकिन, सरदार पटेल ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के समर्थन की मदद से नेहरू के ऐतराज़ की अनदेखी कर के सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था. लेकिन, जब अयोध्या में भी मंदिर को दोबारा बनवाने की मांग उठी, तो इस बार सरदार पटेल नहीं थे और इस बार नेहरू की ही मर्ज़ी चली.[11,12]

ये अजीब ही संयोग है कि जो नेहरू अयोध्या में मंदिर बनाए जाने के ख़िलाफ़ थे, उन्हीं के नाती राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए राम मंदिर का ताला खोला गया था. ये ताला, उस समय अयोध्या में मौजूद विवादित मस्जिद में रामलला की मूर्तियां रखी जाने (बाल राम के प्रकट होने) के बाद कोर्ट के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए लगाया गया था. लेकिन, राजीव गांधी के कार्यकाल में ये ताला खोल कर हिंदुओं को रामलला की पूजा करने की इजाज़त दे दी गई थी. उस समय की सुनी-अनसुनी कहानियों के मुताबिक़, फ़ैज़ाबाद की ज़िला अदालत ने केंद्र सरकार के निर्देश पर ही विवादित स्थल का ताला खोलने का आदेश जारी किया था.

ये बात 1986 की है. उस समय राजीव गांधी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो मामले के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अध्यादेश लाने से नाराज़ हिंदू समुदाय को साधने की कोशिश कर रही थी. राजीव गांधी के क़रीबी दोस्त अरुण नेहरू उस वक़्त राजीव की सरकार में आंतरिक सुरक्षा के मंत्री थे. ऐसा माना जाता है कि अरुण नेहरू ने ही राजीव गांधी को अयोध्या कार्ड

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 11, Issue 3, March 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1102023 |

खेलने की सलाह दी थी, ताकि मुसलमानों के साथ हिंदुओं को भी साधा जा सके. बाद में राजीव गांधी ने 1989 के आम चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत भी अयोध्या से ही की थी. हालांकि, उस चुनाव के नतीजे राजीव गांधी की उम्मीद के मुताबिक़ नहीं रहे थे.

विवादित जगह का ताला खुलने के साथ ही हिंदुओं के मन में राम जन्मभूमि को लेकर सदियों से दबी हुई नाराज़गी भी फट पड़ी. विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि का मुद्दा उठा कर आंदोलन छेड़ दिया. जैसे ही राम के नाम पर आंदोलन ने ज़ोर पकड़ा, तो उस वक़्त बीजेपी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने 1989 में पालमपुर में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पेश किया और अयोध्या आंदोलन को अपनी पार्टी का प्रमुख सियासी मुद्दा बना लिया. इसके बाद आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथयात्रा निकाली. ऐसा माना जाता है कि आडवाणी ने ये यात्रा वीपी सिंह की विभाजनकारी मंडल राजनीति की काट के लिए निकाली थी. यात्रा के दौरान ही लालकृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ़्तार कर लिया. इसका यात्रा का नतीजा ये हुआ कि हिंदुओं के उत्थान की ये राजनीति उग्र हिदुंत्व के उभार में तब्दील हो गई.[13,14]

पी वी नरसिम्हाराव ने ये सोचा कि वो छल, प्रपंच, धोखा और कुछ न करने के साथ क़ानून को कुछ अलग तरह से लागू कर के इतिहास का रुख़ मोड़ लेंगे लेकिन, उनकी अक्रियता का नतीजा ये हुआ कि 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढहा दिया गया. तब से अयोध्या के राम लला प्लास्टिक के तिरपाल में रह रहे हैं. अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद वो विवादित ज़मीन रामलला को दे दी गई है.

विवादित ज़मीन किस की है, इस सरल से सवाल का फ़ैसला करने में हमारे देश की अदालतों ने इतना लंबा वक़्त लगा दिया. 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में एक फ़ैसला सुनाया था, जिसके तहत विवादित ज़मीन तो दो हिंदू पक्षों और एक मुस्लिम पक्ष मे बराबर बराबर बांट दिया गया था. अब इस में किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हिंदुओं और मुसलमानों, दोनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस दोषयुक्त फ़ैसले के क़रीब एक दशक बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है कि विवादित ज़मीन असल में श्री राम की है. अब सरकार एक ट्रस्ट बनाएगी, जो इस ज़मीन के इस्तेमाल करने के तौर-तरीक़े तय करेगी. साथ ही मुस्लिम पक्ष की नुमाइंदगी करने वाले सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अलग से ज़मीन दी जाएगी. देश की सर्वोच्च अदालत के इस फ़ैसले के साथ अयोध्या के उस अध्याय का पटाक्षेप हो गया है, जिसकी शुरुआत बाबर के सेनापति मीर बाक़ी ने ग़ैर इस्लामिक ढांचे के ऊपर मस्जिद बनाकर की थी. भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी जांच में ये पाया था कि विवादित मस्जिद के नीचे पहले से एक ढांचा था, जो इस्लामिक नहीं था.

लेकिन, ये पूरी कहानी का केवल एक भाग है. इस कहानी के और भी पहलू हैं जिन पर टिप्पणी करने की ज़रूरत है.

पहली बात तो ये है कि बीजेपी अब ये दावा कर सकती है कि उसके कोर एजेंडे के तीन मुद्दों में से दो का हल निकाल लिया गया है.

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 11, Issue 3, March 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1102023 |

पहले तो बीजेपी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया और अब अयोध्या के विवाद का निपटारा हो गया. बीजेपी के कोर एजेंडे का तीसरा मुद्दा यानी सभी के लिए समान नागरिक संहिता या युनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर अभी काम चल रहा है. अब अगर अगले कुछ महीनों में देश में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाता है, तो बीजेपी अपने कोर एजेंडे को पूरा कर लेगी. ऐसा होने पर बीजेपी के पास अस्तित्व की राजनीति के बजाय हाल के प्रासंगिक मुद्दों पर राजनीति करने का मौक़ा होगा. जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था. हालांकि, जीत का ढोल बजाना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन बीजेपी लोगों के बीच ये राय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि मज़बूत नेतृत्व और प्रचंड बहुमत की मदद से ही वादे पूरे किए जा सकते हैं. आने वाले समय में जो नीतियां लागू की जानी हैं, उनकी कमियों को अब ठीक किया जा सकेगा, क्योंकि बीजेपी ने अपने कोर एजेंडे के बड़े हिस्से को पूरा कर लिया है.

दूसरी बात ये है कि इस बार भी कांग्रेस के हाथ खाली रह गए हैं, जबकि राम जन्मभूमि को हमारे दौर में आज़ाद कराने के अभियान की शुरूआत उसी वक़्त हुई थी, जब कांग्रेस सत्ता में थी, और उसके पास विशाल बहुमत था. जैसे-जैसे कांग्रेस की सियासी ताक़त कम होती गई, बीजेपी की राजनीतिक शक्ति में तेज़ी से इज़ाफा होता गया. देश की राजनीति में जो जगह कभी कांग्रेस की हुआ करती थी, आज उस पर बीजेपी काबिज है और मौजूदा हालात ऐसे हैं कि शायद उसे वहां से हिलाया न जा सके.[15,16]

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 11, Issue 3, March 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1102023 |

तीसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को दोबारा स्थापित किया है. फिर चाहे वो कोई व्यक्ति हो या क़ानूनी प्रतिनिधि (जैसे कि इस मामले में श्री राम को माना गया). सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले से ये साफ़ कर दिया है कि संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान के बुनियादी अधिकारों का अटूट हिस्सा है. संविधान से संपत्ति के अधिकार को बुनियादी अधिकार के दायरे से हटाना, इमरजेंसी के बाद जोड़-तोड़ से बनी विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों की बहुत बड़ी ग़लती थी. इसकी वजह से लोगों की स्वतंत्रता कम होती है. उनकी आज़ादी छिनती है. बीजेपी को चाहिए कि वो संपत्ति के अधिकार को दोबारा मूल अधिकारों में शामिल करने के बारे में गहराई से विचार करे. अगर संपत्ति का अधिकार दोबारा मूल अधिकार बनाया जाता है, तो अयोध्या जैसे विवाद अगर पूरी तरह ख़त्म नहीं भी हुए, तो इनकी तादाद काफ़ी कम हो जाएगी.

और, चौथी अहम बात ये है कि बड़े ज़ोर-शोर से प्रचारित किया जाने वाला, 'आइडिया ऑफ़ इंडिया' एक ऐसा ख़याली पुलाव है, जहां सेक्यूरिज़्म के नाम पर एक ही समुदाय को लगातार रियायतें दी जाती रहती हैं और इस में कोई बदलाव नहीं आता. ऐसे आयडिया ऑफ़ इंडिया को आज ख़ारिज किए जाने की ज़रूरत है. ताकि इस ने हमारे देश की राजनीति और समाज को जो नुक़सान पहुंचाया है, उसे अब और आगे होने से रोका जा सके. जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से साफ़ है कि आस्था की न्यायिक पड़ताल नहीं की जा सकती. न ही किसी भी गणराज्य के लिए किसी धार्मिक आस्था का कोई मायने है. किसी भी सरकार को ऐसे काम करने चाहिए, जिनसे देश की ज़्यादा से ज़्यादा जनता का भला हो सके. और ऐसा करने के लिए उसे इस समुदाय या उस संप्रदाय को रिआयत देने से बचना चाहिए. क्योंकि ऐसे फ़ैसले कभी सफल नहीं होते. आज की तारीख़ में हमारे देश में ऐसे विचारों की कोई जगह नहीं है, जो हिंदू आस्था और विश्वास के सख़्त ख़िलाफ़ हों.

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 11, Issue 3, March 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1102023 |

पांचवीं अहम बात ये है कि ख़ुद को गणराज्य घोषित करने के सात दशक बाद अब भारत को अपने इतिहास को स्वीकार कर लेना चाहिए. अब इतिहास को लीपपोत कर, रंग बुहार कर के पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है. जैसा कि लंबे समय से इस देश में विचारधारा के संरक्षण और राजनीतिक हौसले की मदद से होता आया है. इसका नतीजा वही हुआ है, जैसा कि एक विचारक ने अयोध्या आंदोलन के दौरान बख़ूबी कहा था, 'अधूरा अतीत, तनावपूर्ण भविष्य'. हम इसी सिंड्रोम के शिकार रहे हैं. देश के कड़वे इतिहास को सोवियत संघ की तर्ज पर तोड़-मरोड़ कर पेश करने का नुस्ख़ा कारगर नहीं रहा है. ये नुस्ख़ा तो उस देश में भी काम नहीं आया, जहां इसे लागू किए जाने के बाद ये विचारधारा के साथ भारत में लाया गया था. लंबे समय से ये तर्क दिया जाता रहा है कि हुकूमतों को इतिहास लिखने के काम से ख़ुद को दूर कर लेना चाहिए. अब समय आ गया है कि भारत में सोवियत संघ के ज़माने के इतिहास लिखने के प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए. परिष्कृत लोकतंत्र वो होते हैं जो अपने इतिहास को छुपाते नहीं, बल्कि उनसे आँखें मिला कर बातें करते हैं, उनसे सबक़ लेते हैं, ताकि इतिहास के कड़वे सबक़ से न वर्तमान प्रभावित हो और न ही उसका असर भविष्य पर पड़े. [17,18] वो बचकाने मुल्क होते हैं, जो अपने नागरिकों को घुट्टी में घोटकर इतिहास का सबक़ पिलाते हैं. जैसा कि पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से साबित हो चुका है.

और अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को रामलला की ज़मीन के इस्तेमाल पर निगाह रखने के लिए एक ट्रस्ट बनाने को कहा है. वो ज़मीन जो अब अवैध क़ब्ज़े से मुक्त कर दी गई है. जिस पर अब कोई विवाद नहीं है. लेकिन ये ऐसा काम है जो असल में समाज को करना चाहिए. राज्य को किसी भी पूजा स्थल पर अधिकार करने का अधिकार नहीं है और न ही उसे ऐसा करना चाहिए. फिर चाहे वो ट्रस्ट के माध्यम से हो या किसी बोर्ड के ज़रिए. क्योंकि इससे भी अलग तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं.

शनिवार के फ़ैसले के बाद अब समय आ गया है कि हम आगे बढ़ें. हमारा अतीत एकदम शानदार नहीं हो सकता है. न ही हमारा वर्तमान तनावों से मुक्त हो सकता है. अगर हम अपने अनसुलझे अतीत की ओर ही निगाह फेरते रहेंगे. अब भारत के लोगों की सबसे बड़ी चिंता हमारा भविष्य होना चाहिए. अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से हमें अब इसके अलावा कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि इस फ़ैसले ने बाबर और उसके सेनापति मीर बाक़ी की ग़लतियों को सुधार दिया है.

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 11, Issue 3, March 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1102023 |

निष्कर्ष

रामजन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के साथ आसपास की नवैयत खासी बदल जाएगी। यह हम नहीं बता रहे हैं बल्कि जिस प्रकार की योजना-रचना बनी है, उससे यह साफ दिख रहा है। दरअसल रामलला का दर्शन मार्ग एक बार फिर से बदलने की तैयारी है। पहले प्रशासनिक निर्णय के आधार पर मार्ग में बदलाव किया गया था लेकिन इस बदलाव की कोई तैयारी नहीं थी जिसके कारण जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो प्रशासन बैकफुट पर आ गया। इस बार ऐसा नहीं बल्कि इसकी पूरी व्यूह रचना बनाई गयी है जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री समेत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी किया है और उनकी हरी झंडी के बाद योजना को अंतिम रुप दे दिया गया। प्रदेश सरकार की ओर से नामित नोडल एजेंसी अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने ली एसोसिएट साउथ एशिया प्रा. लि. के माध्यम से सम्पूर्ण अयोध्या के विकास का दृष्टिपत्र बनवाया है। इस दृष्टिपत्र में अलग-अलग थीम पर एक-एक पथ का निर्माण, चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण प्रस्तावित किया गया था जिसकी स्वीकृति के बाद डीपीआर भेजा गया। प्रदेश सरकार ने डीपीआर के सापेक्ष बजट का प्रावधान कर धनावंटन भी कर दिया है। इसमें प्रथम भक्ति पथ जिसे कल्याण पथ भी घोषित किया गया है, ही भविष्य में रामलला का मुख्य दर्शन मार्ग होगा। तीस मीटर यानि करीब सौ फिट चौड़े व सात मीटर लंबे इस पथ की निर्माण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यही पथ सुग्रीव किला-रामजन्मभूमि सम्पर्क मार्ग भी है।

अमावांराम मंदिर व आनंद भवन पर स्थित है क्रासिंग वन-टू: सुग्रीव किला-रामजन्मभूमि सम्पर्क मार्ग के निर्माण के बाद हनुमानगढ़ी-बड़ा स्थान के रास्ते रामलला का दर्शन नहीं हो सकेगा। दशरथ यज्ञशाला से अमावांराम मंदिर व रंगमहल मार्ग पर सामान्य यातयात भले चालू रखा जाएगा लेकिन रामजन्मभूमि में आमदरफ्त नहीं हो पाएगी बल्कि यह आकस्मिक सम्पर्क मार्ग के रुप में ही प्रयुक्त किया जाएगा। ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्रासिंग वन-टू की ही लोकेशन बदल जाएगी और यह लोकेशन सुग्रीव किला -रामजन्मभूमि सम्पर्क मार्ग पर शिफ्ट हो जाएगी। इस मार्ग पर मैनुअल सुरक्षा के बजाय आधुनिक तकनीक पर आधारित जांच व्यवस्था भी प्रभावी हो जाएगी।[19]

रामगुलेला मंदिर की 89 एअर जमीन के अधिग्रहण के लिए मातमपुर्सी: जिलाधिकारी नितीश कुमार के निर्देशानुसार सुग्रीव किला-रामजन्मभूमि सम्पर्क मार्ग पर स्थित रामगुलेला मंदिर की तिकोनिया भूमि जिसका रकबा करीब 89 एअर है, के अधिग्रहण के लिए मंदिर के महंत की मातमपुर्सी शुरू कर दी गयी है। यद्यपि प्रथम चक्र की वार्ता के दौरान मंदिर मंहत अब और जमीन देने के राजी नहीं है लेकिन अभी उनका मन टटोला जा रहा है। भविष्य में क्या होगा कहना मुश्किल है। फिलहाल प्रयास शुरू हो गया है। उधर मिली जानकारी के अनुसार रामगुलेला मंदिर के बीच विशालकाय चौराहा बनाने की भी योजना है। इसी योजना में हनुमानगढ़ी से रामजन्मभूमि आने वाले सम्पर्क मार्ग को जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद यहां मौजूदा फोर्स भी घट जाएगी।[20]

संदर्भ

1. उमरजी, विनय (15 नवंबर 2019)। "चंद्रकांत सोमपुरा, वह व्यक्ति जिसने अयोध्या के लिए राम मंदिर का निर्माण किया" । बिजनेस स्टैंडर्ड । 27 मई 2020 को लिया गया ।
2. ^ पांडे, आलोक (23 जुलाई 2020)। "अयोध्या का राम मंदिर होगा 161 फुट ऊंचा, 20 फुट बड़ा होगा " एनडीटीवी । 23 जुलाई 2020 को लिया गया ।
3. ^ "2024 तक पूरा होगा राम मंदिर" । समाचार18 . 10 अप्रैल 2021 । 19 जून 2021 को लिया गया ।
4. ^ "राम मंदिर: नींव का दूसरा चरण जनवरी के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है" । लाइवमिंट । 15 जनवरी 2022 । 26 जनवरी 2022 को लिया गया ।
5. ^ बाजपेयी, नमिता (7 मई 2020)। "अयोध्या राम मंदिर के लिए भूमि समतलीकरण जल्द, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद मंदिर ट्रस्ट का कहना है" । द न्यू इंडियन एक्सप्रेस । 8 मई 2020 को लिया गया ।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 11, Issue 3, March 2022 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1102023 |

6. ^ "अयोध्या में विभिन्न देवताओं के छह मंदिर राम मंदिर का अंतिम खाका" । द हिंदू । पीटीआई। 13 सितंबर 2021। आईएसएसएन 0971-751X । 22 नवंबर 2021 को लिया गया ।
7. ^ जैन, मीनाक्षी (2017), राम के लिए लड़ाई - अयोध्या में मंदिर का मामला, आर्यन बुक्स इंटरनेशनल, आईएसबीएन 978-8-173-05579-9[पेज की जरूरत]
8. ^ एंडरसन, जॉन वार्ड; मूर, मौली (8 दिसंबर 1992)। "मस्जिद विध्वंस के बाद दंगों में 200 भारतीय मारे गए" । वाशिंगटन पोस्ट । 29 अगस्त 2020 को लिया गया ।
9. ^ फुलर, क्रिस्टोफर जॉन (2004), द कैम्फर फ्लेम: पॉपुलर हिंदुइज्म एंड सोसाइटी इन इंडिया , प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, पी. 262, आईएसबीएन 0-691-12048-X
10. ^ किदंगूर, अभिष्यंत (4 अगस्त 2020)। "भारत के नरेंद्र मोदी ने राम के एक विवादास्पद मंदिर पर जमीन तोड़ दी। यहाँ यह क्यों मायने रखता है" । समय । 17 नवंबर 2020 को लिया गया । भारत में मुसलमानों के लिए, यह 16वीं सदी की एक मस्जिद का स्थल है जिसे 1992 में भीड़ द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, जिससे सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, जिसमें लगभग 2,000 लोग मारे गए थे।
11. ^ "बाबरी मस्जिद विध्वंस की प्रतिक्रिया के रूप में, 6 दिसंबर, 1992 को पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हुआ था" । द न्यूयॉर्क टाइम्स । रायटर। 8 दिसंबर 1992 [1992] । 30 मई 2020 को पुनः प्राप्त - द मॉर्निंग क्रॉनिकल के माध्यम से।
12. ^ खालिद, हारून (14 नवंबर 2019)। "कैसे बाबरी मस्जिद विध्वंस ने पाकिस्तान में कमजोर अंतर-धार्मिक संबंधों को समाप्त किया" । तार । 30 मई 2020 को लिया गया ।
13. ^ पीटीआई, यूएनआई (6 जुलाई 2005)। "फ्रंट पेज: सशस्त्र तूफान अयोध्या परिसर" । द हिंदू । मूल से 8 जुलाई 2005 को संग्रहीत।
14. ^ "भारतीय प्रधान मंत्री ने अयोध्या में हमले की निंदा की" । People.com.cn . सिन्हुआ। पीपुल्स डेली ऑनलाइन। 6 जुलाई 2005।
15. ^ भट्टाचार्य, संतवाना (6 मार्च 2003)। "मुझे सत्तर के दशक के मध्य में स्तंभ के आधार मिले: प्रो लाल" । इंडियन एक्सप्रेस आर्काइव । 7 अक्टूबर 2020 को लिया गया ।
16. ^ "अयोध्या में मिले मंदिर का सबूत: एएसआई रिपोर्ट" । रेडिफ । पीटीआई। 25 अगस्त 2020 । 7 अक्टूबर 2020 को लिया गया ।
17. ^ शेखर, कुमार शक्ति (1 अक्टूबर 2019)। "राम मंदिर अयोध्या में बाबरी मस्जिद से पहले मौजूद था: पुरातत्वविद् केके मोहम्मद" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 21 सितंबर 2020 को लिया गया ।
18. ^ "अयोध्या के पास धन्नीपुर में पहले से ही 15 मस्जिदें हैं, स्थानीय मुसलमान अस्पताल और कॉलेज भी चाहते हैं" ।
19. ^ "2022 से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर" । द न्यू इंडियन एक्सप्रेस । आईएएनएस 11 नवंबर 2019 । 26 मई 2020 को लिया गया ।
20. ^ बाजपेयी, नमिता (21 जुलाई 2020)। "280 फीट चौड़ा, 300 फीट लंबा और 161 फीट लंबा: अयोध्या राम मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा" । द न्यू इंडियन एक्सप्रेस । 23 जुलाई 2020 को लिया गया ।

Impact Factor:
7.569

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com

Scan to save the contact details

www.ijirset.com